[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 31/2017-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 29 सितंबर,2017

सा.का.नि. (अ).- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ख	अध्याय 99	नेपाल और भूटान (भू-स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गो से संबंधित सेवाओं का आपूर्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं''.

[फा. सं. 354/221/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 684 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 21 सितंबर, 2017, सा.का.नि. 1183(अ), दिनांक 21 सितंबर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।